प्रेस नोट दिनांक-21.12.2025

थाना व जनपद चंदौली

- **थाना चंदौली पुलिस टीम द्वारा 01 कन्टेनर वाहन में भरकर परिवहन की जा रही 1809 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब बरामद**

- **बरामद अवैध अंग्रेजी शराब की अनुमानित कीमत लगभग 20 लाख रुपए**

चंदौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली, आदित्य लांग्हे द्वारा शराब तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने व तस्करी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर अनन्त चंद्रशेखर (आईपीएस), क्षेत्राधिकारी सदर, देवेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक चन्दौली संजय कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना चंदौली पुलिस टीम द्वारा दिनांक-21.12.2025 को रात्रि गस्त के दौरान चौकी नवही के पास चेकिंग के दौरान मुखविर से सूचना प्राप्त हुई कि एक वाहन कन्टेनर जिसका नम्बर RJ11GC8146 है जिसमे अवैध अग्रेजी शराब गैर प्रान्त की लदी है गाड़ी खराब हो गयी जो थाना चन्दौली के सामने ओबरब्रीज पर खड़ी है, मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पुलिस टीम द्वारा नेशनल हाइवे पर पहुंच कर वाहन उपरोक्त का नम्बर चेक किया गया तो HSNP न0 RJ11GC8146 लगा हुआ वाहन मे कोई चालक/खलाशी मौजूद नही है आस पास काफी तलाश किया गया परन्तु वाहन उपरोक्त के चालक या खलाशी नही मिले कि वाहन उपरोक्त को नेशनल हाइवे से थाने के सामने सर्विस लेन पर खड़ा करवाकर BNSS की धारा 105 के अनुपालन मे विडियोग्राफी कराते हुए चेक किया गया तो वाहन मे लकड़ी का कुछ टूटा हुआ सामान पड़ा हुआ है । तथा लोहे के चादर से केबिन बनाकर पाटिसन किया गया है यह इत्मिनान होने पर कि वाहन उपरोक्त मे अवैध अग्रेजी शराब भरी गयी है तो गैस कटर वाले को मौके पर बुलाकर पाटीशन को कटवाकर चेक किया गया तो कुल 83 पेटी इम्पिरियल ब्लू 375.0 ML कुल 747 लीटर एंव 118 पेटी 750 ML इम्पिरियर ब्लू कुल 1062 लीटर कुल 1809 लीटर अग्रेजी शराब बरामद हुयी मौके पर 375 ML मे से एक बोतल व 750 ML मे से एक बोतल नमूना मोहर निकला कर सर्वसील मुहर किया गया। वाहन उपरोक्त के वाहन नं0 RJ11GC8146 को अपने मोबाइल के ई-चालान ऐप से चेक किया गया तो वाहन स्वामी पंकज बघेल पुत्र विनोद बघेल निवासी न्यू कालोनी एन-2 बिरला नगर ग्रीड ग्वालियर मध्य प्रदेश पाया गया टम्प्रेरी पता राजस्थान का अंकित है वाहन उपरोक्त को धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया तथा बरामदगी के आधार पर मु0अ0स0-375/2025 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0स0-375/2025 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना व जनपद चंदौली

विवरण बरामदगी–

1.एक वाहन मिनी कन्टेनर वाहन नं0 RJ11GC8146
2.कुल 1809 लीटर अवैध अग्रेजी शराब

<u>बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-</u>

प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार सिंह थाना व जिला चन्दौली।
उ.नि. रावेन्द्र सिंह थाना व जिला चन्दौली
उ0नि0 तरूण कुमार कश्यप
का0 अरविन्द कुमार
का रूपेश दूबे
का0 सत्य प्रकाश मौर्य